(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना सं. 44/2017सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. (अ)- जबकि "अमोनियम नाइट्रेट" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3102 30 00 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया और ईरान (एतद्पश्चात विषयागत देशों के रूप में उल्लिखित) में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/1/2016 -डीजीएडी, दिनांक 1 अगस्त, 2017 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

(क) संबद्ध वस्तु का भारत से निर्यात उसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है, परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;

(ख) संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई हैं;

(ग) यह वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।

जबकि पदनामित प्राधिकारी ने विषयगत देशेां से मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वाक्त निष्कर्षों के आधार पर अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे मामलों पर, जो कि उक्त

सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से , उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित मुद्रा और प्रतिमापन इकाई में व्यक्त उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्र. स.	शीर्ष/ उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	मुद्रा/ यूनिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3102 30 00	''अमोनियम नाइट्रेट'' है, चाहे वह प्रिल्ड, ग्रेन्युलर अथवा अन्य ठोस रूप में हो और संयोजनों अथवा कोटिंग सहित या बिना इसके हो तथा वह 0.83 जी/सीसी से अधिक सामूहिक धनत्व वाला हो	रूस	स्विटजरलैंड	नोकोमोसको वस्काया (नेकएजोट)	राफर्ट ऑफशोर साल के माध्यम से यूरोकैम ट्रेडिंग जीएमबीएच	शून्य	अमरीकी डालर /मी.टन
2	3102 30 00	-वही-	रूस	रूस	जेएससी एजोट	एसबीयू नाइट्रोट्रेड एजी	11.42	अमरीकी डालर /मी.टन
3	3102 30 00	-वही-	रूस	सिंगापुर	जेएससी एजोट	ड्रेमूर फर्टिलाइजर्स ओवरसीज	11.42	अमरीकी डालर

						पीटीई लि0 के माध्यम से		/मी.टन
4	3102 30 00	-वही-	रूस	रूस	कोई	कोई	25.00	अमरीकी डालर /मी.टन
5	3102 30 00	-वही-	रूस	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	कोई	कोई	25.00	अमरीकी डालर /मी.टन
6	3102 30 00	-वही-	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	रूस	कोई	कोई	25.00	अमरीकी डालर /मी.टन
7	3102 30 00	-वही-	जार्जिया	जार्जिया	कोई	कोई	53.99	अमरीकी डालर /मी.टन
8	3102 30 00	-वही-	जार्जिया	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	कोई	कोई	53.99	अमरीकी डालर /मी.टन
9	3102 30 00	-वही-	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	जार्जिया	कोई	कोई	53.99	अमरीकी डालर /मी.टन
10	3102 30 00	-वही-	ईरान	ईरान	कोई	कोई	60.35	अमरीकी डालर /मी.टन
11	3102 30 00	-वही-	ईरान	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	कोई	कोई	60.35	अमरीकी डालर /मी.टन
12	3102 30 00	-वही-	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	ईरान	कोई	कोई	60.35	अमरीकी डालर /मी.टन
13	3102	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	कोई	कोई	26.07	अमरीकी

	30 00							डालर /मी.टन
14	3102 30 00	-वही-	इंडोनेशिया	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	कोई	कोई	26.07	अमरीकी डालर /मी.टन
15	3102 30 00	-वही-	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	इंडोनेशिया	कोई	कोई	26.07	अमरीकी डालर /मी.टन

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है ।

(फा.सं.354/205/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार